संख्या-425/2022/992 रासनि/23-1-22-34आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ:: 14 नवम्बर, 2022

विषय:वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत चालू कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2865सी0/02सी0/रासनि(विमप्र)3054/भाग-2/2022-23, दिनांक 09.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 3054 मद में शासनादेश संख्या-396/2022/676रासनि/23-1-2022/004-34आरएसएन/2022, दिनांक 25.10.2022 द्वारा स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 26 मार्गों के चालू कार्यों हेतु लेखाशीर्षक 3054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद-26-वृहद निर्माण कार्य अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश के अंकित उक्त लेखाशीर्षक 3054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद-26-वृहद निर्माण कार्य के स्थान पर 3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद-29-अनुरक्षण संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-396/2022/676रासनि/23-1-2022/004-34आरएसएन/2022, दिनांक 25.10.2022 के प्रस्तर-2 में अंकित लेखाशीर्षक 3054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद-26-वृहद निर्माण कार्य के स्थान पर लेखाशीर्षक 3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद-29-अनुरक्षण पढ़ा व समझा जाय।

3- विषयगत शासनादेश संख्या-396/2022/676रासनि/23-1-2022/004-34आरएसएन/2022, दिनांक 25.10.2022 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-425/2022/992रासनि(1)/23-1-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।